राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2706069 E-mail: rajssa.training@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/प्रशिक्षण/उपचारात्मक शिक्षण/F-19-01325/2023–24/ 3579 दिनांक : 28/7/2023

5. विद्यार्थी एवं शिक्षकों हेतु पठन-पाठन सामग्री

VIDEO LINK

अधिगम संवर्धन कार्यक्रम (Learning Enhancement Programme) कक्षा 9–12
दिशा–निर्देश : सत्र 2023–24

विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का अधिगम का स्तर कक्षानुरूप न होने एवं सीखने के प्रतिफल के अनुसार अधिगम न कर पाने की स्थिति में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में गिरावट की सम्भावनायें बढ़ जाती है। विद्यार्थियों के अधिगम अन्तराल को कम करने एवं उनके अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से "अधिगम संवर्धन कार्यक्रम" प्रारम्भ किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिगम अन्तराल की पहचान करते हुए विद्यार्थियों को उनके नामांकित कक्षा का स्तर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 9–12 संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों एवं संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में कक्षा 9–12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का उपचारात्मक शिक्षण कराया जाना है।

अधिगम संवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत दो गतिविधियाँ होंगी –

1. उपचारात्मक शिक्षण
2. वर्क बुक द्वारा अभ्यास व अधिगम

उक्त गतिविधियों के तहत निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जाना है –

- कक्षा 9–10 में नामांकित समस्त विद्यार्थियों का अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय का एवं कक्षा 11–12 में प्रति संकाय अधिकतम 3 विषयों (विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए) का 60 घण्टे प्रति विषय अनुसार उपचारात्मक शिक्षण कराया जाना है।
- प्रत्येक कक्षा के लिए उपर्युक्त अंकित विषयानुसार प्रति विषय 60 घण्टे का शिक्षण 01 अगस्त 2023 से प्रारम्भ करते हुए विद्यालय समय सारणी में निर्धारित विषय कालांशों में ही करवाया जाना है।
- शिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व विषय अध्यापक द्वारा समस्त विद्यार्थियों का पूर्व आकलन (Pre - Assessment) तथा समाप्ति पर पश्च आकलन (Post Assessment) किया जायें।
- विषय अध्यापक द्वारा पूर्व एवं पश्च आकलन प्रपत्रों का संधारण तथा समीक्षा की जाये तथा आकलन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जायें।
- विद्यालय में संबंधित विषय का अध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता) न होने पर संस्थाप्रधान द्वारा एसडीएमसी में प्रस्ताव पारित करवाकर संबंधित विषय के शिक्षण के लिए विभागीय नियमानुसार प्रशिक्षित व्यक्ति को उपचारात्मक शिक्षण हेतु कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाये।
- कक्षा 9 व 10 के लिए कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए व्यक्ति को राशि 200 रू. प्रति घण्टा प्रति विषय (प्रति कक्षा) तथा कक्षा 11 व 12 के लिए 300 रू. प्रति घण्टा प्रति विषय (प्रति कक्षा) की दर से मानदेय देय होगा।
- कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए व्यक्तियों द्वारा 60 घण्टे का उपचारात्मक शिक्षण माह अक्टूबर, 2023 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
- **उपचारात्मक शिक्षण हेतु विषयवार लगे बाह्य व्यक्तियों [illegible] उपचारात्मक शिक्षण समयावधि के उपरान्त कराए गए कुल वास्तविक शिक्षण घण्टों की सूचना के [illegible] शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है। जिसकी [illegible] से [illegible] की जाएगी। मॉड्यूल पर प्रविष्टि विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा की जाएगी।**

Signature valid
Digitally signed by [illegible]
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.25 18:00:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4350540

- उपचारात्मक शिक्षण हेतु सहायक सामग्री यथा पेपर रिम, फोटोकॉपी आदि हेतु कक्षा 9 व 10 के लिए राशि 500 रू. प्रति कक्षा तथा कक्षा 11 व 12 में एक से अधिक संकाय की स्थिति में प्रति संकाय राशि 500 रू. एक मुश्त देय होंगे। सहायक सामग्री हेतु दी जा रही राशि का उपयोग विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाना है। जिसकी मॉनिटरिंग संबंधित PEEO/UCEEO, द्वारा की जानी चाहिए।
- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उस मद में ही किया जाएगा।
- गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र GF&AR के निर्धारित प्रारूप में विद्यालय से ब्लॉक तथा ब्लॉक से जिला कार्यालय तक प्रेषित किया जाए तथा जिला स्तर पर समेकित करते हुए निर्धारित प्रारूप में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देश एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- विद्यार्थी के पूर्व परख के आकलन के आधार पर पाए गए लर्निंग गेप को पूर्ण करने की कार्य योजना बनाते हुए शिक्षण करवाऐं एवं उन्हें वर्तमान कक्षा स्तर तक लाया जायें।
- कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य हेतु अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं कक्षा 12 के लिए अंग्रेजी (अनिवार्य) विषय की कार्यपुस्तिका ब्लॉक कार्यालय तक वितरित की जाएगी।
- अधिगम संवर्धन कार्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले दायित्वों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है –

जिला स्तर के दायित्व :

- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों हेतु अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं कक्षा 12 के लिए अंग्रेजी (अनिवार्य) विषय की कार्यपुस्तिका ब्लॉक कार्यालय तक वितरित की जाएगी। ब्लॉक कार्यालय से PEEO/UCEEO के माध्यम से 5 दिवस में विद्यालय तक कार्यपुस्तिकाओं का वितरण सुनिश्चित करना।
- जिला एवं ब्लॉक कार्यालय पर कार्यपुस्तिकाओं के वितरण की मॉनिटरिंग हेतु प्रभारी को नियुक्ति करना।
- कार्यपुस्तिकाओं का विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के निर्देशन में उपयोग की सघन मॉनिटरिंग करना।
- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सहायक सामग्री एवं बाह्य व्यक्ति के मानदेय हेतु राज्य स्तर से स्वीकृत राशि को तत्काल ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से 10 दिवस में समस्त विद्यालयों तक आहरण की स्वीकृति जारी करते हुए निर्देशानुसार उपयोग की सुनिश्चितता कराना।
- ब्लॉक पर प्राप्त कार्यपुस्तिकाओं की स्टॉक एन्ट्री प्रपत्र–1 अनुसार समेकित करते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित करना।
- विद्यालय अवलोकन के समय शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल के अनुसार कार्यव्यवस्थार्थ लगे बाह्या व्यक्तियों की सूचना का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

ब्लॉक स्तर के दायित्व :

- कार्यपुस्तिकाओं की प्रत्येक विद्यार्थी तक उपलब्धता कराते हुए मॉनिटरिंग करना।
- जिला स्तर से जारी आहरण स्वीकृति के अनुसार ब्लॉक के अधीन कक्षा 9-12 संचालित राजकीय विद्यालयों द्वारा सहायक सामग्री एवं बाह्य व्यक्तियों के मानदेय के संबंध में संस्थाप्रधान द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित बिलों के आधार पर वेण्डर को 10 दिवस में भुगतान करना।
- ब्लॉक मुख्यालय पर कक्षा 9, 10 एवं 12 के लिए उपलब्ध कार्यपुस्तिकाओं को ... शिक्षा के विद्यालयों को भी वितरित करना।

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.25 18:00:43 IST
Reason: Approved

- ब्लॉक स्तर पर कार्यपुस्तिकाओं के लिये प्रभारी नियुक्त करना एवं ब्लॉक पर प्राप्त कार्यपुस्तिकाओं की प्रविष्टि ब्लॉक लॉगिन से शाला दर्पण मॉड्यूल पर करना।
- ब्लॉक स्तर से कार्यपुस्तिकाओं की स्टॉक एन्ट्री की सूचना संलग्न प्रपत्र–1 अनुसार जिला कार्यालय को कार्यपुस्तिका की प्राप्ति के 2 दिवस में प्रेषित करना।
- ब्लॉक के समस्त कक्षा 9–12 संचालित राजकीय विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण कालांशों का अवलोकन कर क्रियान्वयन की सुनिश्चिता करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ को मांग पत्रानुसार कार्यपुस्तिका 3 दिवस में वितरित करना तथा अधीनस्थ विद्यालयों में 2 दिवस में वितरण सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यपुस्तिका वितरण का रिकॉर्ड संधारण निर्धारित प्रपत्र में किया जाना है। (संलग्न प्रपत्र – 2, 3)
- विद्यालय अवलोकन के समय शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल के अनुसार कार्यव्यवस्थार्थ लगे बाह्य व्यक्तियों की सूचना का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

पीईईओ/यूसीईईओ स्तर के दायित्व :

- शाला दर्पण पर कक्षा 9, 10 व 12 में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या अनुसार अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के लिए कार्यपुस्तिका ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करना।
- कार्यपुस्तिका प्राप्ति के 2 दिवस में अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में कार्यपुस्तिका का वितरण एवं विद्यार्थियों द्वारा कार्यपुस्तिकाओं के उपयोग की सघन मॉनिटरिंग करना।
- ब्लॉक से कार्यपुस्तिका लाने का व्यय कार्यालय मद से करना।
- शाला दर्पण के नामांकन एवं प्राप्त कार्यपुस्तिकाओं में 1–5 प्रतिशत तक अन्तर हो सकता है, ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वयन कर कार्य पुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।
- पीईईओ एवं यूसीईईओ द्वारा ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त कार्यपुस्तिकाओं के वितरण का अभिलेख संधारण करना। (संलग्न प्रपत्र – 4, 5)
- उपचारात्मक शिक्षण हेतु कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गए बाह्य व्यक्तियों की मानदेय राशि एवं क्रय की गई उपयोगी सहायक सामग्री के प्रमाणित बिल ब्लॉक कार्यालय को गतिविधि समाप्ति के 10 दिवस में प्रस्तुत करना।
- विद्यालय अवलोकन के समय शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल के अनुसार कार्यव्यवस्थार्थ लगे बाह्य व्यक्तियों की सूचना का भौतिक सत्यापन करना।

संस्थाप्रधान के दायित्व :

- **अधिगम संवर्धन कार्यक्रम (LEP) हेतु विद्यालय स्तर पर प्रभारी नियुक्त करें। जिसके द्वारा अधिगम संवर्धन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं उसका समस्त दस्तावेज का विद्यालय स्तर पर संधारण करें।**
- कक्षा 9–10 में अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय तथा कक्षा 11 व 12 में विद्यार्थियों की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए प्रति संकाय अधिकतम 3 विषयों का उपचारात्मक शिक्षण कराना।
- प्रत्येक विद्यार्थी तक कार्यपुस्तिकाओं का वितरण करते हुए विद्यालय स्तर पर प्राप्त कार्यपुस्तिकाओं एवं विद्यार्थियों को वितरित कार्यपुस्तिकाओं का शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्टि करना एवं प्रपत्र–5 व 6 के अनुसार रिकॉर्ड संधारण करना।
- विद्यार्थियों द्वारा कार्यपुस्तिकाओं के उपयोग की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना।
- विषयाध्यापक (व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक) न होने पर एसडीएमसी में प्रस्ताव लिया जाकर योग्यताधारी व्यक्ति को 60 घण्टे के उपचारात्मक शिक्षण हेतु कार्य व्यवस्थार्थ

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.25 18:00:43 IST
Reason: Approved

लगाना एवं कक्षावार व विषयवार लगाए गए बाह्य व्यक्तियों की सूचना प्रपत्र–8 के अनुसार संधारित कर ब्लॉक कार्यालय तक प्रेषित करना।

- **प्रस्तानुसार लगाए गए बाह्य व्यक्तियों की सूचना एवं उपचारात्मक शिक्षण समयावधि के उपरान्त कराए गए कुल वास्तविक शिक्षण घण्टों की सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में प्रविष्टि करना।**
- उपचारात्मक शिक्षण 01 अगस्त 2023 से प्रारम्भ कर 60 घण्टे पूर्ण करवाना।
- कार्य व्यवस्थार्थ लगे व्यक्तियों द्वारा 60 घण्टे के उपचारात्मक शिक्षण का क्रियान्वयन माह अक्टूबर, 2023 तक अनिवार्य रूप से कराना।
- उपचारात्मक शिक्षण हेतु कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गए बाह्य व्यक्तियों की मानदेय राशि एवं क्रय की गई उपयोगी सहायक सामग्री के प्रमाणित बिल ब्लॉक कार्यालय को गतिविधि समाप्ति के 10 दिवस में प्रस्तुत करना।
- विद्यालय स्तर पर प्राप्त कार्यपुस्तिकाओं की संख्या में 1–5 प्रतिशत तक का अन्तर हो सकता है ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर कार्यपुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- उपचारात्मक शिक्षण एवं कार्यपुस्तिकाओं में विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्यो का नियमित अवलोकन कर समीक्षा करना।

शिक्षक के दायित्व :

- समस्त विद्यार्थियों का निर्धारित विषयों का प्रारम्भिक आकलन (Base Line) करते हुए 01 अगस्त 2023 से उपचारात्मक शिक्षण प्रारम्भ करना तथा समाप्ति पर अंतिम रेखा (End Line) आकलन करना।
- आकलन प्रपत्रों का संधारण करते हुए प्राप्तांकों की शाला दर्पण पर प्रविष्टि करना एवं प्रपत्रों की समीक्षा करना।
- अभ्यास हेतु प्रत्येक विद्यार्थी तक कार्यपुस्तिकाओं की उपलब्धता कराना तथा अभ्यास कार्य कराना।
- यथा संभव उपलब्धता के आधार पर टीएलएम, विज्ञान एवं गणित किट का प्रयोग करना जिससे सीखना सरल एवं रूचिकर होगा।
- 60 घण्टे के शिक्षण अन्तर्गत कराए गए कार्यो का रिकॉर्ड का संधारण करना (यथा आकलन, अभ्यास कार्य, विद्यार्थी उपलब्धि स्तर आदि)।
- विद्यार्थी द्वारा कार्यपुस्तिकाओं में किए गए अभ्यास कार्य की शिक्षक द्वारा नियमित जाँच करना एवं रिकॉर्ड संधारण कर संस्थाप्रधान को अवलोकन कराना।
- उपचारात्मक शिक्षण अन्तर्गत किए जा रहे कार्य का पाक्षिक आकलन कर रिकॉर्ड संधारण करना।
- गतिविधि समाप्ति पर विद्यार्थियों का अधिगम स्तर कक्षा स्तर तक प्राप्त करना।

आकलन एवं मॉनिटरिंग :

1. सत्र 2023–24 में कक्षा 9–12 में कराए गए उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाना है। मूल्यांकन के समय संधारित रिकॉर्ड मांगा जाएगा।
2. तृतीय पक्ष मूल्यांकन की प्रक्रिया –
   - संबंधित जिले के डाइट कार्यालय द्वारा जिले में कार्यरत आरईआई पार्टनर संस्थाओं के सहयोग से तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु टूल निर्माण किया जाएगा।
   - टूल निर्माण के पश्चात मूल्यांकन कर एक विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट डाइट के द्वारा तैयार की जाएगी।

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.25 18:00:43 IST
Reason: Approved

- तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एवं संबंधित जिले के अति. जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।
- मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त परिणामों के अनुसार जिला स्तर पर आयोजित जिला निष्पादन समिति की बैठकों में चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।
- अधिगम संवर्धन कार्यक्रम की समीक्षा के बाद कम उपलब्धि स्तर वाले संस्था प्रधान एवं विषयाध्यापकों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावें।
- सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक मंगलवार को अपने क्षेत्राधीन पीईईओं की ऑनलाईन मिटिंग लेकर इस कार्यक्रम का प्रभावी प्रबोधन करेंगें।

उक्त गतिविधि स्टार्स परियोजना 2023–24 में निम्नानुसार अनुमोदित हैं–

SIG Component 3:

Improved Teacher Performance and classroom Practice

3.3.2 Printing of Remedial material for class 9-12

संलग्न – उपरोक्तानुसार प्रपत्र 01–08

(डॉ. टी. शुभमंगला)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/प्रशिक्षण/उपचारात्मक शिक्षण/F-19-01325/2023–24/ 3579 **दिनांक :** - 28/7/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
7. अति० निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. प्रधानाचार्य, डाइट, समस्त जिले।
14. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
15. UCEEO/PEEO, समस्त।
16. कार्यालय प्रति।

Signature valid

Digitally signed by T. Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.25 18:00:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4350540

प्रपत्र – 1

कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा

जिला...................................

स्टॉक एन्ट्री प्रमाण पत्र

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक का नाम	कक्षा 9			सामग्री प्राप्ति की दिनांक	स्टॉक रजिस्टर का पेज क्रमांक व दिनांक
			विज्ञान	अंग्रेजी	गणित		
योग							

उक्तानुसार वर्णित कार्यपुस्तिकाओं की प्राप्ति संतोषप्रद है।

हस्ताक्षर..................................

अति. जिला परि. समन्वयक

जिला......................................

नोट –

1. उक्त प्रपत्र में जिला स्तर से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाये।
2. प्रपत्र में वांछित समस्त परिष्ठियां पूर्ण कर हस्ताक्षरयुक्त प्रति एवं Excel Sheet में सूचनायें आवश्यक रूप से प्रेषित की जाये।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.25 18:00:43 IST
Reason: Approved

ब्लॉक का नाम...

प्रपत्र – 2

क्र.सं.	कक्षा	कुल प्राप्त कार्यपुस्तिकाओं की संख्या			पीईईओ/यूसीईईओ को वितरित कार्यपुस्तिका			संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों को वितरित			कुल वितरित			शेष			हस्ताक्षर प्रभारी
		विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	
	9																
	10																

ब्लॉक का नाम...

प्रपत्र – 3

क्र.सं.	दिनांक	पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालय का नाम	वितरित कार्यपुस्तिका संख्या						प्राप्तकर्ता का नाम	मो. नम्बर	हस्ताक्षर
			विज्ञान		अंग्रेजी		गणित				
			कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 9	कक्षा 10			

पीईईओ/यूसीईईओ का नाम...

प्रपत्र – 4

क्र.सं.	कक्षा	प्राप्त कार्यपुस्तिका संख्या			विद्यालय को वितरित कार्यपुस्तिका			शेष			हस्ताक्षर प्रभारी
		विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	
	9										
	10										

पीईईओ/यूसीईईओ का नाम...

प्रपत्र – 5

क्र.सं.	दिनांक	विद्यालय का नाम	वितरित कार्यपुस्तिका संख्या						प्राप्तकर्ता का नाम	मो. नम्बर	हस्ताक्षर
			विज्ञान		अंग्रेजी		गणित				
			कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 9	कक्षा 10			

विद्यालय का नाम...

प्रपत्र – 6

क्र.सं.	कक्षा	प्राप्त कार्यपुस्तिका संख्या			विद्यार्थियों को वितरित कार्यपुस्तिका			शेष			हस्ताक्षर प्रभारी
		विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	
	9										
	10										

विद्यालय का नाम...

प्रपत्र – 7

क्र.सं.	दिनांक	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	वितरित कार्यपुस्तिका संख्या			हस्ताक्षर विद्यार्थी	हस्ताक्षर प्रभारी
				विज्ञान	अंग्रेजी	गणित		
			9					
			10					

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.25 18:00:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4350540

प्रपत्र – 8

उपचारात्मक शिक्षण हेतु कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए व्यक्तियों की समेकित सूचना

जिला ....

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	कक्षा 9 हेतु कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए व्यक्तियों की संख्या			कक्षा 10 हेतु कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए व्यक्तियों की संख्या			कक्षा 11 (अधिकतम 3 विषयों) हेतु कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या	कक्षा 12 के (अधिकतम 3 विषयों) हेतु कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए व्यक्तियों की संख्या
			विज्ञान	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	गणित		
योग										

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.25 18:00:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4350540